ायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकाने

मुकदमा नम्बर......70....../2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः– राज्य सरकार बनाम ....हुकमाराम.........

निर्णय

दिनांकः–...30/...4/...18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षे विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ....धनासर.........अन्तर्गत धारा 91 एल. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल.......हुकमाराम पुत्र/पत्नि श्री ....आदुराम..........जाति ....जाट.......निवासी.....मिंगसरिया द्वारा ग्राम ......मिंगसरिया..........के अराजी खसरा नम्बर ......120...... तादादी.....1.85.....हैक्टेयर किस्म भूमि....गै.मु.गोचर....भूमि में से....0.1600....हैक्टेयर/वर्गमी भूमि पर सम्वत् .....2074.....में नाजायज.....गेहूं की बुवाई कर.........अवैध रूप से अतिक्र किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने अप जवाब में लिखा है कि मेरे द्वारा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अगर मेरे पास अपने खसरे की सीमा से ज्यादा भ निकलती है तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्व प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटव हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर .....गेहूं की बुवाई का......... अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तु न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल .....हुकमाराम.........का उ खसरा नम्बर.....120.........तादादी.....1.85..........हैक्टेयर ....गै.मु.गोचर.......भूमि से .....0.1600.........हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर साय .....हुकमाराम.........अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल ......हुकमाराम..........पुत्र/पत्नि श्री .....आदुराम..... जाति......जाट.........निवासी.......मिंगसरिया..........को ग्राम ....मिंगसरिया...... के खसरा नम्बर ....120.........तादादी.......1.85..........हैक्टेयर गै मु ....गोचर.... भूमि में से .....0.1600.........हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ......2074........का अतिक्र घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान ......2.00.............. रूप का 50 गुणा से ....100=00........ रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्क भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार ले हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.18 ...